न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा (आर० ए० एस०)
मुकदमा नं० :- 37/2021
दायर दिनांक :- 13.07.2021

उनवान

1. कौशल्या देवी पत्नि रामसिंह
2. बरजी देवी पत्नि रामभजन

} जाति गुर्जर निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील दौसा जिला दौसा।

बनाम

1. मोहरसिंह पुत्र छाजू
2. आनन्दीलाल पुत्र छाजू
3. कौशल्या पत्नि मोहरसिंह
4. बीला पत्नि आनन्दीलाल

} जाति गुर्जर निवासी ग्राम बाणे का बरखेड़ा तहसील दौसा जिला दौसा।

5. इण्डिन बैंक शाखा दौसा जरिये शाखा प्रबंधक शाखा दौसा।

उपस्थित : 1. श्री वरूण नागर, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री जगदीश सिंह, अधिवक्ता [illegible]।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.11.22 11:02:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा – अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि0

::निर्णय::

दिनांकः 29.09.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम जैयपुरा तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि आराजी खसरा नं. 252 रकबा 2.19 है0, खसरा नं. 253 रकबा 0.22 है0 तथा खसरा नं. 254 रकबा 0.53 है0 स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/3 व प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 2/3 है एवं प्रार्थीगण उक्त आराजी पर बतौर खातेदार काबिज काश्तकार है।

वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 254 रकबा 0.53 है0 में अप्रार्थीगण का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध नही है। परन्तु अप्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बर पर जबरन कब्जा करने व दखलदांजी पैदा करते है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की भूमि खसरा नम्बर 257, 261/291, 97/2898 कुल किता 3 कुल रकबा 1.78 है0 भूमि वाके ग्राम जैयपुरा तहसील दौसा अलग है लेकिन इसके बावजूद भी उक्त भूमियों के एक दूसरे के सहारे होने के कारण अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 254 पर आये दिन प्रार्थीगण को हैरान व परेशान करते है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 254 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम जैयपुरा तहसील दौसा में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की उत्पन्न न करे, एवं उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर दिनांक 13.07.2021 को प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 16.11.2021 को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 4 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश सिंह द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। पत्रावली में दिनांक 09.03.2022 से अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 4 को जवाब पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किया गया अतः दिनांक 27.06.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 4 का जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 बाजवूद तामील न्यायालय में उपस्थित नही [illegible] इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 05.07.2022 को पत्रावली में वकील [illegible] की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.11.22 11:32:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

1. **<u>प्रथम दृष्ट्या मामलाः-</u>** इस अर्थ यह कतई नही है कि मामला पूर्णतः साबित कर दिया क्युंकि यह साक्ष्य का विषय है प्रथम दृष्ट्या मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है या नहीं है।

उपयुक्त प्रार्थना पत्र में ग्राम जैयपुरा तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि ख0न0 254 रकबा 0.53 है0 प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार प्रार्थीगण है। हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में जाता है।

2. **<u>सुविधा का संतुलनः-</u>** अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा के संतुलन में एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य है कि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नही दिया गया तो प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नही होगी।

चूंकि हस्तगत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पास खातेदारी अधिकार होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।

3. **<u>अपूरणीय क्षतिः-</u>** उक्त प्रार्थना के आलोक में प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन दोनो प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित हुये है। अतः हमारा भी विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनो बिन्दू यथाः- प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना को स्वीकार करना हम विधि संगत समझते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.11.22 11:02:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

:: आदेश ::

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वाके ग्राम जैयपुरा तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित आराजी भूमि के ख0न0 254 रकबा 0.53 है0 भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करने में अप्रार्थीगण ताफैसला वाद दखल न देवे तथा भूमि के मौके यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ठ दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

कार्यालय सहायक कलक्टर दौसा, जिला दौसा

मनीषा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
दौसा

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.11.22 11:02:50 IST
Reason: SelfAttested